भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1129
उत्तर दिनांक - 01/08/2024 को दिया गया

डीएई में विनिवेश

1129. डा. अजित माधवराव गोपछड़े

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की इकाइयों को विशेष रूप से घरेलू छोटे निवेशकों को उचित मूल्य पर शेयरों की पेशकश करके विनिवेशित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय कार्यान्वित किए गए हैं या किए जाने का विचार है;

(ख) क्या इस विनिवेश से उत्पन्न निधियों को अनुसंधान और विकास पहलों का समर्थन करने के लिए डीएई को दिया जाएगा; और

(ग) डीएई के भीतर प्रत्येक इकाई के नियमित कार्यकरण की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय कार्यान्वित किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) रणनीतिक क्षेत्र में प्रचालनरत हैं। अतः विशेष रूप से घरेलू छोटे निवेशकों को उचित मूल्य पर शेयरों की पेशकश लागू नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यों की निगरानी कार्यकारी स्तर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता वाले बोर्ड और कार्यात्मक, अंशकालिक और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की जाती है। दैनिक कार्यों की निगरानी कार्यात्मक निदेशकों, अधीक्षकों और अनुभाग प्रमुखों द्वारा की जाती है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निष्पादन की नियमित निगरानी के लिए व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना और मासिक/तिमाही/वार्षिक आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन की नियमित रिपोर्ट की व्यवस्था शामिल है।

*****